Order & Dekree

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 61 / 14

1 किशोरी बाई बेवा हीरालाल, जाति मेघवाल (पुत्रवधु पन्ना)
2 हंसराज पुत्र हीरालाल (पौत्र पन्ना), जाति मेघवाल
3 सोनू पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल
4 पिन्टू पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल
निवासीगण ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 रामदेव पुत्र शंकरलाल, जाति मेघवाल, निवासी डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 बजरंगलाल पुत्र रामनारायण, जाति मेघवाल, निवासी डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.ए.

दिनांक : 16.04.2018

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पन्ना जी पुत्र उदा जी, जाति मेघवंशी के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 333 की 36 बीघा 13 बिस्वा बारानी सोयम स्थित थी, जिस पर पन्ना जी का स्वयं का कब्जा चला आ रहा था और पन्ना जी की यह स्वयं की अर्जित भूमि थी, जिस पर अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं था, पन्ना जी की मृत्यु के उपरान्त उनका एकमात्र वारिस हीरालाल उक्त आराजी पर काबिज रहा और हीरालाल जी की मृत्यु के बाद उनकी बेवा व उनका लडका हंसराज और दो नाबालिग बच्चे जरिये वली उक्त आराजी पर काबिज रहे।

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 333 की 36 बीघा 13 बिस्वा के नये नम्बर 585 रकबा 1.28 हैक्टर, 586 रकबा 0.95 हैक्टर, 589 रकबा 1.10 हैक्टर, 597 रकबा 1.36 हैक्टर, 598 रकबा 1.15 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 5.84 हैक्टर कायम किये गये। जिसमें पन्ना जी के साथ बजरंगलाल पुत्र रामनारायण व रामदेव पुत्र शंकर्या का नाम भी उक्त आराजी में समभाग दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त आराजी से बजरंगलाल व रामदेव प्रतिवादी नं. 1 व 2 का कोई लेना देना नहीं है और न ही सेटलमेन्ट को इस प्रकार से रेवेन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती करने का ही कोई हक है इसलिये वादीगण उक्त आराजी को इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर पन्ना जी के एममात्र वारिस होने के नाते तन्हा अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में कराये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं. 1 व 2 हीरालाल की मृत्यु उपरान्त वादिनी एक बेवा तथा हीरालाल के नाबालिग बच्चों के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है और अभी जब वादिनी अपने कब्जे काश्त की

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

आराजी में सरसों एवं गेंहूँ में पानी पिला रही थी तो प्रतिवादी नं. 1 व 2 खेत पर आये और वादिनी को धमकी दी कि यह फसल हम काट कर ले जायेगें तथा उक्त आराजी को विक्रय करेंगें। यह हमने हमारे खाते दर्ज करवा ली है और यह कहते हुये वादिनी के कब्जे काश्त में दिनांक 04.12.1999 को मदालखत व मजाहमत की और मना करने पर झगडा फसाद पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त आराजी में मजाहमत व मदालखत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु फिर भी वे ऐसा करने को उतारू है। इसलिये उन्हें रोकने हेतु वादिनी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदालखत करने और वादीगण के मना करने के बावजूद भी नहीं मानने पर माननीय न्यायालय के न्याय–क्षैत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 333 की 36 बीघा 13 बिस्वा, जिसके नये नम्बर 585 की 1.28 हैक्टर, 586 की 0.95 हैक्टर, 589 की 1.10 हैक्टर, 597 की 1.36 हैक्टर, 598 की 1.15 हैक्टर कुल 5.84 हैक्टर वाके ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा से पन्ना जी के साथ बजरंगलाल पुत्र रामनारायण व रामदेव पुत्र शंकर्या का जो नाम समभाग में दर्ज किया गया है, उसे हटावा जाकर वादीगण के खातेदारी में आराजी दर्ज करते हुये वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदालखत नहीं करें और न ताकत के बल पर उन्हें बेदखल करें और न उनमें और न उसमें खडी फसल को काटे तथा न ही उक्त आराजी को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करें। ऐसा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करेंऔर न अपने प्रतिनिधियों से करावें।

वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

1	प्रदर्श–1	ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 585, 586, 589, 597, 598 रकबा 5.84 हक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054
2	प्रदर्श–2	ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 333 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा की नकल जमाबन्दी संवत 2032–2035
3	प्रदर्श–3	ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 333 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा की नकल जमाबन्दी संवत 2028–2031
4	प्रदर्श–4	ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के गत खसरा नम्बर 333 मि. का मिलान क्षेत्रफल संवत
5	प्रदर्श–5	पन्ना पुत्र उदा के नाम से जारी राजस्व विभाग की पासबुक के भाग 1 व भाग 2 की फोटोप्रति।
6	प्रदर्श–6ए	हीरालाल पुत्र पन्नालाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के दादा की सम्पत्ति थी। वाद पत्र के अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा विशेष आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादीगण ने वादपत्र माननीय न्यायालय में नितान्त झूंठे एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा की स्वर्जित भूमि न होकर प्रतिवादी के दादा उदा जी की थी, प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु वास्तविक एवं सत्य तथ्य सजरा के प्रारूप के माध्यम से समझे जा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

सकते है कि उदाजी के तीन पुत्र थे क्रमशः पन्ना जी, रामनारायण व शंकरिया, प्रतिवादी क्रम 1 के पिता रामनारायण व क्रम 2 के पिता शंकरिया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की नाबालिग अवस्था (दो या तीन वर्ष की आयु थी) तब हो गया था। आज से 46 वर्ष पहले प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के दादाजी भी जिन्दा थें उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता के बडे भाई, पन्ना जी के खाते दर्ज हुई जो कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संरक्षक भी थे। प्रतिवादीगण 1 व 2 के बालिग होने पर उन्होनें प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त एवं बंटवारा मौखिक रूप से कर दिया था। तब से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व, सहकारी तथा अन्य व्यवहारिक परेशानियां होने पर दिनांक 25.09.1984 में जर्ये इकरारनामा जो कि ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी द्वारा तस्दीक करने के पश्चात स्वयं पन्ना जी ने सेटलमेन्ट दिनांक 29.09.1984 में प्रतिवादीगण का समभाग में खातेदारी दर्ज करायी थी और तब से ही तीनों अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा उस समय वादीगण का पति व पिता हीरालाल भी जिन्दा था तथा पन्ना जी की मृत्यु के पश्चात हीरालाल व प्रतिवादीगण अपने हिस्से काबिज चले आ रहे है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण के बहस में आने तथा प्रतिवादी वकील के अनुपस्थित रहने से वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर पन्ना जी के खाते दर्ज रिकार्ड थी तथा वादीगण पन्ना जी के वारिसान है तथापि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम गलत तरीके से जोड दिया गया है जबकि सेटलमेन्ट को इस प्रकार भूमि की किस्म तथा इन्द्राज को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी के वर्तमान खसरा नम्बरान में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाये जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 3 को आवश्यक आदेश प्रदान किये जावे। वादी वकील द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीर 1. आर.आर.डी. 1993 पेज 44–47, 2. आर.आर.डी. 1994 पेज 204–205, 3. राजस्व मण्डल, अजमेर की अपील/एल.आर./989/2017/कोटा दिनांक 11.10.2017 पेज 1–11। दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये थे –

1. आया वाद पत्र के चरण में अंकित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के पिता के तन्हा खातेदारी में थी जिसे सेटलमेन्ट विभाग को प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था जिसे दुरूस्त करवाकर वापस अपने खाते पूर्ववत दर्ज कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

- वादीगण द्वारा पेश की गई जमाबन्दी संवत 2051–54 में वादीगण के पिता हीरा का नाम अंकित है जो प्रतिवादीगण के साथ ही दर्ज है, केवल वादीगण के पिता की तन्हा खातेदारी में किसी भी आराजी के दर्ज होने का कोई भी साक्ष्य वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का नाम दौराने सेटलमेन्ट वर्ष 1996 से पूर्व ही दर्ज हुआ था। वादीगण के वाद का मुख्य कथन यह था कि सेटलमेन्ट विभाग को रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्ती करने के अधिकार नहीं है, के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 106, 107, 108, 142, 145, 146 की अधिसूचना प्रकाशित होने पर राजस्व/ग्राम पंचायतों के नामान्तरकरण करने के अधिकार दिनांक 01.06.1996 से पूर्व सेटलमेन्ट विभाग में निहित थे। इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि "जब किसी क्षैत्र में भू–सर्वेक्षण एवं भू–प्रबन्ध कार्यवाही शुरू होती है तो, धारा 146

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार नामान्तरकरण खोलने एवं तस्दीक, के अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को प्राप्त हो जाते है। इतना ही नहीं, तहसील का महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड और विशेष रूप से नामान्तरकरण सम्बन्धी रिकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग के पास आ जाता है, जो भू प्रबन्ध कार्यवाही प्रभावी रहने तक इस विभाग की कस्टडी में रहता है।" इससे सिद्ध होता है कि दिनांक 01.06.1996 तक सेटलमेन्ट विभाग विधिवत तरीके से नामान्तरकरण करने के पूरे अधिकार रखता था। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण की उक्त आराजी जिसके नये नम्बर वाद पत्र में अंकित है, को प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, न ही गलत इन्द्राज के आधार पर खुद्र बुर्द नहीं करें, पाबन्द कराने के वादीगण अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

➢ वादीगण की ओर से पेश की गई ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 585, 586, 589, 597, 598 रकबा 5.84 हक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2051–2054 (प्रदर्श–1) के अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2, वादीगण के साथ ही उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है। अतः किसी रिकार्डेड सहखातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी द्वारा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 29.09.1984 का कानूनन क्या असर है।

➢ इस सम्बन्ध में प्रतिवादी के जवाब दावा में इकरारनामा का उल्लेख है परन्तु वादीगण अथवा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 में से किसी के भी द्वारा ऐसा कोई इकरारनामा अथवा उसकी कोई प्रति पेश नहीं की गई है। इसके अभाव में उक्त तथाकथित इकरारनामा के सम्बन्ध में कोई न्यायोचित टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। प्रकरण में वादीगण द्वारा इकरारनामा को गलत सिद्ध नहीं किया गया है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. अनुतोष ? प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने पूर्वज पन्ना के नाम दर्ज आराजी के आधार पर अपना नाम दर्ज रखते हुये वर्तमान राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही को उचित मानते हुये उनका नाम यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वादीगण की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन व कायम की गई तनकीयात के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही को अनुचित बताया जाना किसी भी स्तर पर न्यायोचित नहीं है। वादीगण सेटलमेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही को गलत सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण, वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16 अप्रेल, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 किशोरी बाई बेवा हीरालाल, जाति मेघवाल (पुत्रवधु पन्ना)
2 हंसराज पुत्र हीरालाल (पौत्र पन्ना), जाति मेघवाल
3 सोनू पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल
4 पिन्टू पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल
निवासीगण ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 रामदेव पुत्र शंकरलाल, जाति मेघवाल, निवासी डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 बजरंगलाल पुत्र रामनारायण, जाति मेघवाल, निवासी डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 61 / 14
निर्णय दिनांक : 16-04-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 16–04–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को गलत सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः वाद सिद्ध नहीं कर पाने के कारण, वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		